प्रधानमंत्री का उद्घाटन भाषण

राष्ट्रीय विकास परिषद (एनडीसी) की 51वीं बैठक

(27 जून, 2005)

माननीय मुख्यमंत्रीगण और मंत्रिमंडल सहयोगियो,

केन्द्र और राज्य सरकारों के मंत्रीगण,

विशिष्ट प्रतिनिधिगण,

देवियो और सज्जनो

मुझे आप सभी का इस राष्ट्रीय विकास परिषद की 51वीं बैठक में स्वागत करके बड़ी प्रसन्नता हो रही है, जोकि हमारी सरकार द्वारा पदभार संभालने के बाद की पहली बैठक भी है । राष्ट्रीय विकास परिषद एक अनुपम संस्था है जिसकी विशेष रूप से महत्वपूर्ण विकास मुद्दों के संबंध में विचार करने और उन पर निर्णय लेने के लिए स्थापना की गई थी । यह उन लोकतांत्रिक और संघीय आदर्शों की पुष्टि करती है जो हमारे संविधान और शासनतंत्र में प्रतिष्ठापित हैं ।

हम दसवीं योजना के मध्यावधि मूल्यांकन पर विचार करने के लिए यहां पर एकत्र हुए हैं जिस पर सामान्यतया योजना अवधि के मध्य में विचार किया जाता है । इस मामले में,

2004 में हुए आम चुनावों के बाद केन्द्र में सरकार के परिवर्तन के साथ ही यह कार्य शुरु हुआ ।

यूपीए सरकार, जिसने लगभग एक वर्ष पहले पदभार संभाला था, ने राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम में अपने विस्तृत आर्थिक और सामाजिक उद्देश्यों की रूप-रेखा बनाई । इसने प्रथम वर्ष में कतिपय महत्वपूर्ण तथा अति आवश्यक पहल के कार्य किये । इसके साथ ही इसने योजना आयोग को एक मध्यावधि मूल्यांकन करने का निदेश दिया जिसका कार्य अर्थव्यवस्था के व्याष्टिगत क्षेत्रकों में निष्पादन का विस्तृत रूप से मूल्यांकन करना और बड़े पैमाने पर ऐसे सुधारात्मक उपायों की जांच करना था जो निष्पादन की ऐसी कमजोरियों पर काबू पाने के लिए आवश्यक थे जो हमारे सामने आए हैं ।

मध्यावधि मूल्यांकन जिसे आपके सामने प्रस्तुत किया गया है उसमें बडी संख्या में ऐसे सुझाए गए सुधारात्मक उपायों के साथ-साथ समस्त क्षेत्रकों में निष्पादन की स्पष्ट एवं व्यापक समीक्षा की गई है जिनमें से कुछ उपायों पर केन्द्र सरकार द्वारा और कुछ अन्य उपायों पर राज्य सरकारों द्वारा कार्रवाई की जानी है । जो सुधारात्मक उपाय सुझाए गए हैं, वे नीतिगत सुधार के लिए एक कठिन एजेन्डा हैं । मैं इन सुझावों के लिए मुख्य मंत्रियों की प्रतिक्रिया जानना चाहूँगा, विशेषकर उन क्षेत्रों

में जहां राज्य सरकारें प्रत्यक्षतः शामिल हैं ।

प्रारंभ में ही, मैं मध्यावधि मूल्यांकन से उत्पन्न होने वाले कुछ प्रमुख मुद्दों पर अपने विचारों से आपको अवगत कराना चाहूंगा । योजना आयोग के उपाध्यक्ष और अधिक विस्तृत प्रस्तुतीकरण करेंगे और मेरे सहयोगी, कृषि मंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्री तथा वित्त मंत्री बैठक के दौरान विभिन्न पहलुओं पर अपने विचार प्रस्तुत करेंगे ।

विकास

अर्थव्यवस्था की विकास दर परम्परागत रूप से हमारी योजना प्रक्रिया का एक प्रमुख लक्ष्य रहा है । वास्तव में आर्थिक नीति का उद्देश्य अर्थव्यवस्था के लिए मात्र उच्च विकास दर हासिल करना ही नहीं है बल्कि इसका उद्देश्य इससे भी अधिक होना चाहिए । किन्तु इस बात में कोई संदेह नहीं है कि आर्थिक विकास का महत्व है । यह सामान्य आर्थिक सुधार का एक सबसे महत्वपूर्ण एकल संकेतक है । यह उच्च गुणवत्तापूर्ण रोजगार में विस्तार करने के लिए अर्थव्यवस्था की योग्यता का भी एक संकेतक है । यह गरीबी कम करने में एक शक्तिशाली प्रभाव भी डालता है।

दसवीं योजना के लिए विकास का लक्ष्य 8.1 प्रतिशत

रखा गया था और मध्यावधि मूल्यांकन दर्शाता है कि अभी तक निष्पादन इस लक्ष्य से काफी कम है, औसत विकास दर पिछले तीन वर्षों में 6.5 प्रतिशत रही है । हम उच्चतर विकास का लक्ष्य रख सकते हैं और हमें यह लक्ष्य रखना भी चाहिए । हमारी सरकार ने विकास को 7 और 8 प्रतिशत के बीच तक ले जाने का लक्ष्य रखा था और हमें इसी बात पर दसवीं योजना के अंतिम दो वर्षों में लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए । तथापि, यदि हम इस तीव्र गति को प्राप्त भी कर लेते हैं, तो भी हम समग्ररूप से योजना अवधि के दौरान 8 प्रतिशत विकास की मूल दसवीं योजना के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते ।

कृषि

विगत कुछ वर्षों में हमारे निष्पादन का विशेष रूप से एक बाधक पहलू यह रहा है कि 1990 के दशक के बाद से कृषि विकास में कमी आई है । कृषि 1980 से 1996 तक 3.2 प्रतिशत की दर से बढ़ी थी । नौवीं योजना में यह कम होकर 2.1 प्रतिशत हो गई । दसवीं योजना कार्यनीति का आधार कृषि वृद्धि दर में कमी के रुझान में बदलाव होना था और 4 प्रतिशत कृषि विकास का लक्ष्य रखा गया था । दुर्भाग्य से, ऐसा प्रतीत होता है कि कृषि में वास्तविक निष्पादन और अधिक खराब हो गया है तथा यह संभवतः योजना के प्रथम तीन वर्षों के दौरान

1.5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा । ऐसी परिस्थितियों में इस बात में कोई आश्चर्य नहीं है कि एक ऐसी अवधारणा पैदा हो गई है कि सुधारों के लाभ हमारी जनता के एक बहुत बड़े वर्ग तक नहीं पहुंच पाए हैं ।

पिछले कुछ वर्षों में मानसून का समय पर न होना निश्चित रूप से इस बात में एक सहायक कारक रहा है किन्तु कृषि की समस्याएं मौसम से परे हैं। प्रगति में कुछ कमी आई है जो हमारी कृषि कार्यनीति में एक गंभीर मंदी की ओर संकेत करती है। इसमें सुधार करना हमारी उच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।

कृषि विकास की मंदी पर काबू करने के लिए हमें कई मोर्चों पर कार्य करने की आवश्यकता है । हमें कृषि से संबंधित समस्त कार्यकालापों की श्रृंखलाओं पर ध्यान केन्द्रित करने और निवेश बढ़ाने की आवश्यकता है जैसेकि इनपुट और क्रेडिट की आपूर्ति, फसलों का विविधीकरण, बेहतर उत्पादन पद्धतियां और सुधरे हुए फसल-वाद प्रबंन्ध । कृषि क्रेडिट प्रणाली पर तत्काल ध्यान देने और उसमें सुधार करने की आवश्यकता है जिससे कि उचित लागत पर पर्याप्त क्रेडिट की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। सहकारी क्रेडिट प्रणाली जिस पर वित्त मंत्री बाद में बोलेंगे, कुछ वर्षों से निष्क्रिय हो गई है । हमारी सिंचाई योजना में बहुत

अधिक खराबी आ गई है और चालू सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने में बहुत धीमी प्रगति हो रही है। हमारे लिए यह भी आवश्यक है कि हम वर्षा सिंचित क्षेत्रों में जल प्रबंधन के लिए व्यावहारिक कार्यनीति को कार्यान्वित करें और सूखा-संभावित और बंजर भूमि क्षेत्रों में जलसंभर दृष्टिकोण अपनाए । हमें यह समझना चाहिए कि हमारे सांझे जल संसाधनों का प्रबंध और उसका प्रभावी, न्यायोचित उपयोग कृषि निष्पादन में सुधार लाने का एक महत्वपूर्ण तत्व है। जल प्रभावी प्रौद्योगिकी और फसलों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है ।

कृषि संबंधी गतिशीलता के लिए अन्य महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में नवयुग की प्रभावकारी प्रौद्योगिकी तथा किसानों को प्रौद्योगिकी संबंधी उत्पादों की सुपुर्दगी के लिए एक प्रभावकारी विस्तार तंत्र शामिल है। आवश्यक प्रौद्योगिकी को विकसित करने के लिए कार्यनीतिक अनुसंधान पर और तेजी से ध्यान देने की आवश्यकता है। यह कार्य आईसीएआर और एसएयू के कृषि संबंधी अनुसंधान प्रणाली को सौंपा जा सकता है। क्षेत्रगत विस्तार कार्यकलाप को स्पष्ट रूप से राज्य मशीनरी को सौंपा जाना चाहिए। विगत में अपनाई गई परंपरागत अन्न आधारित कार्यनीति से भविष्य में भारतीय कृषि को विविधीकरण की ओर अग्रसर होना होगा, जिसमें बागवानी, कुक्कुटपालन

और पशुधन पर बल देना होगा । इस परिवर्तन की नई चुनौतियाँ हैं, जिसमें संस्थागत व्यवस्थाएं शामिल हैं । इस बात की भी आवश्यकता है कि कृषि उत्पाद के प्रबंध के लिए फसल-बाद प्रबंध में सुधार किया जाए। अधिक कुशल बाजार और किसानों से उपभोक्ताओं के लिए सुधरी डिलीवरी प्रणाली को अपनाने के अतिरिक्त कृषि उत्पाद के लिए मूल्यवर्द्धन में वृद्धि के लिए संगठित प्रयास होना चाहिए ।

हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हम दस वर्षों में कृषि उत्पादन को दुगुना करें। हमें वैश्विक कृषि व्यापार में एक महत्वपूर्ण हिस्सेदार होना चाहिए। ऐसा करने के लिए बढ़ी हुई उत्पादकता, उच्चतर कुशलता और अधिक मूल्य वर्द्धन आवश्यक हैं । हमें सामूहिक रुप से ऐसा करने के लिए संकल्प लेना चाहिए । मैं मुख्यमंत्रियों से आग्रह करुंगा कि किस प्रकार से केन्द्र और राज्य इस क्षेत्र में सहयोग कर सकते हैं । संभवतः ठोस कारवाई के लिए आवश्यक उपाय करने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद की उप समिति पर विचार किया जा सकता है ।

ग्रामीण रोजगार

ग्रामीण तकलीफ को कम करने की गंभीरता और अपरिहार्यता की जरूरत के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाने के लिए तत्काल प्रत्युत्तर की अपेक्षा थी और इसे पिछले वर्ष

काम के बदले अनाज कार्यक्रम की शुरुआत करके हासिल किया गया था । हमने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी विधेयक भी पेश किया है जिसमें काम के बदले अनाज कार्यक्रम शामिल होगा । मैं इस बात पर बल देना चाहता हूँ कि ये बातें कृषि विकास को पुनः शुरु करने के लिए प्रतिस्थापन के रूप में नहीं है । जबकि कृषि विकास की गति में शुरुआत ग्रामीण रोजगार में संधारणीय विस्तार की व्यवस्था करने और कृषि में बढ़ती हुई वास्तविक मजदूरी को पैदा करने के लिए जरूरी है, ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम गरीबों और अत्यधिक जरूरतमंदों को कुछ न्यूनतम स्तर तक रोजगार का आश्वासन देगा । इसका परिसम्पत्ति सृजन कार्यक्रमों के काम में प्रयोग किया जा सकता है जिससे कृषि उत्पादन क्षमता के निर्माण में सहायता मिल सकती है।

हमने यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रयास किया हे कि रोजगार कार्यक्रमों में परियोजनाओं के विकल्प में निर्णय लेने की बात को विकेन्द्रीकृत किया जाए और इन कार्यक्रमों के अभिकल्पन, कार्यान्वयन और अनुश्रवण में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका है । मैं मुख्यमंत्रियों से यह जानना चाहूंगा कि क्या ऐसी कोई समस्याएं है जों इस कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू करने से उत्पन्न हुई है और यह कि हम स्थिति में

सुधार के लिए कैसे सहायता कर सकते हैं । इस क्षेत्र में रचनात्मक सुझावों को, ग्रामीण रोजगार गारंटी के डिजाइन में सम्मिलित किया जा सकता है ।

शिक्षा

सरकार ने विशेषकर प्राथमिक शिक्षा को व्यापक बनाने हेतु इस कार्यक्रम को उच्च प्राथमिकता प्रदान की है और इसके लिए सर्व-शिक्षा अभियान (एसएसए) और मध्याह्न भोजन स्कीम के लिए निर्धारित सभी करों पर 2 प्रतिशत का उपकर लगाया था । मुझे रिपोर्ट करके खुशी हो रही है कि एसएसए ने चालू वर्ष में प्रगति की है और प्राइमरी स्कूलों में शत-प्रतिशत नामांकन प्राप्त करने के लक्ष्य को अतिशीघ्र ही प्राप्त कर लिया जाएगा, चाहे यह मूल रूप में लक्षित लक्ष्य से कुछ देर में हो । अब हमें यह सुनिश्चित करने के लिए अपना ध्यान और अधिक कठिन उद्देश्य पर केन्द्रित करना है कि स्कूल की पढ़ाई बीच में छोड़ देने की दर में भी काफी कमी हो जाए और यह कि शिक्षा अच्छी गुणवत्ता वाली हो । मेरे सहयोगी, मानव संसाधन विकास मंत्री अपने हस्तक्षेप में शिक्षा पर कुछ और अधिक बताएंगे ।

मध्याह्न भोजन स्कीम जो स्कूलों में पढ़ाई जारी रखने में सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण हस्तक्षेप है, व्यापक बनाई गई है और आइसीडीएस जो स्कूल पूर्व बच्चों को पोषाहार की व्यवस्था

करती है, का विस्तार किया गया है । यह आवश्यक है कि इन कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए और इनका नियमित रुप से मॉनीटरन किया जाए। विशेषतया, हमें बालिकाओं की शिक्षा और ऐसी स्थितियां पैदा करने पर विशेष बल देना है जिसके द्वारा प्रत्येक माता पिता को अपनी पुत्री को विद्यालय भेजने के लिए उत्साहित किया जा सके।

स्वास्थ्य

मध्यावधि मूल्यांकन में स्वास्थ्य क्षेत्र के निष्पादन में कुछ कमियों पर विशेष ध्यान दिया गया है। सार्वजनिक स्वास्थ्य एक ऐसा क्षेत्र है जहां सरकार का प्रमुख उत्तरदायित्व है तथा इस बात से मैं सहमत हूँ कि हम कुछ अधिक नहीं कर पाये हैं।

हमारे स्वास्थ्य सूचकों के सुधार में प्रगति की गति काफी धीमी है तथा ग्रामीण शहरी विभाजन और लिंग अंतराल में कोई महत्त्वपूर्ण कमी होती नहीं प्रतीत होती है। हमारे शिशु मृत्यु-दर में काफी तेजी से कमी नहीं आ रही है और कुछ राज्यों में यह सबसहारा अफ्रीका की दर से भी बदतर है । मातृ मृत्यु दर में पिछले दशक अथवा उससे भी अधिक समय से लगभग कोई परिवर्तन नहीं हुआ है । निश्चित रूप से यह राष्ट्र के लिए शर्म की बात है। क्या हम अपनी महिलाओं और बच्चों पर इतना कम

ध्यान देते हैं कि हम रोकी जा सकने बाली मृत्यु होने देते हैं, यह जानते हुए भी कि किस प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता है । इन मुद्दों के समाधान के लिए, हमने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू किया है जहाँ विकेन्द्रीकृत जिला स्तर की योजना और स्वास्थ्य देखरेख प्रबंध, पर्याप्त संसाधनों से समर्थित, हमारे स्वास्थ्य पैरामीटरों में सुधार के समग्र दृष्टिकोण का आधार होगा।

हमें एचआईवी एड्स की चुनौतियों के लिए जो कुछ किया गया है उससे और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। अपने को खतरे में डालकर ही हम इसकी उपेक्षा कर सकते हैं। दूसरे देशों के अनुभव बताते हैं कि यदि रोकथाम के उपाय न किये जाएं तो यह रोग अत्यंत तीव्रता से फैल सकता है । अनुभव यह भी सुझाता है कि रोग के प्रसार को रोका जा सकता है। मैं मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूँ कि इस क्षेत्र में प्राथमिकता के आधार पर ध्यान दें, विशेष रूप से वे राज्य जहां संक्रमण दर अधिक हो।

लिंग

लिंग भेद का मुद्दा दूसरा ऐसा क्षेत्र है जहां अधिक ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता है। केन्द्रीय बजट 2005-06 में हमने 10 अनुदान मांगों के अंतर्गत बजटीय आवंटनों के लिंग

संवेदनशीलता पर प्रकाश डालते हुए एक अलग से विवरण शामिल करके लिंग बजटिंग में शुरूआत की है जिसे सभी केन्द्रीय मंत्रालयों में शुरू किया जाएगा। परंतु यह कार्य तब तक अधूरा रहेगा जब तक सभी राज्य महिलाओं को विकास न्याय सुनिश्चित करने में हाथ न बटाएं। महिलओं के प्रति बढ़ती हुई हिंसा, जो उनके जन्म से पहले ही शुरू होती है तथा जीवन पर्यन्त चलती रहती है, से निपटने का एक महत्त्वपूर्ण माध्यम है। यह जाति, वर्ग, समुदाय से परे सभी भागों, ग्रामीण व शहरी में व्याप्त है। अपनी महिलाओं और बालिकाओं के लिए हिंसा मुक्त दुनिया सुनिश्चित करने के लिए हमारी हार्दिक एवं स्पष्ट समर्थन व्यक्त करने का यह सही मंच है।

कमजोर वर्ग

हमारी जनता के कमजोर वर्ग के लोगों की हालत पर लगातार ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि विकास के लाभ हमारी विविध सोसायटी के सभी वर्गों को प्राप्त होने हैं तो विकास प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनने के लिए उन्हें आवश्यक दक्षताओं और संसाधनों से युक्त करना होगा। केवल मात्र यही एक तरीका है जिसके द्वारा हम एक समावेशित, समृद्ध सोसायटी के अपने सपने को साकार कर सकते हैं। 1970 के दशक के मध्य में विशेष घटक योजना व जनजातीय उपयोजना

शुरू की गई थी। जनजातीय उपयोजनाओं और विशेष घटक योजनाओं को पंचवर्षीय योजनाओं के साथ-साथ वार्षिक योजना का अभिन्न भाग होना चाहिए, जिसमें गैर-अपवर्तन तथा गैर-व्यपगम का प्रावधान हो तथा जिसका स्पष्ट उद्देश्य अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के समाजार्थिक विकास में अंतराल को दस वर्षों के अंदर कम करना हो।

जिला स्तर पर प्रशासन

इस संदर्भ में, हमें अपने जिला प्रशासन की गुणवत्ता पर भी विचार करने की आवश्यकता है जिसका हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए प्राथमिक उत्तरदायित्व है। शासन की कोई भी प्रणाली सफल नहीं हो सकती है यदि लोग बिना किसी नोटिस के बदल दिए जाएं, अल्प कार्यकाल से उत्तरदायी परिणाम प्राप्त नहीं होते। यह आवश्यक है कि हमारे लोक सेवकों को न्यूनतम कार्यकाल की सुरक्षा दी जाए जिससे कि इसका निर्णय हो सके कि जो कार्य उन्हें सौंपा गया है वे उसके योग्य हैं अथवा नहीं।

प्रभावकारी, आत्म निर्भर स्थानीय स्वायत्त-शासी निकाय अच्छे शासन के किसी स्कीम में आवश्यक तत्व हैं। हमें न केवल उन्हें सुदृढ़ करना है बल्कि यह भी सुनिश्चित करना हे कि वे

केवल व्यय करने वाले निकाय ही न बने रहें। उन्हें संसाधन जुटाव की ओर अधिक ध्यान देना चाहिए जिससे कि उनकी स्कीम में राजस्व उतना ही अभिन्न अंग हों जितना कि व्यय । मैं इस पर आपकी राय जानना चाहूंगा।

अवसंरचना

मध्यावधि मूल्यांकन में आने वाले वर्षों में अवसंरचना विकास के निर्णायक महत्त्व पर बल दिया गया है । आमतौर पर अब यह माना जाने लगा है कि विगत दो दशकों से जारी आर्थिक सुधारों से अर्थव्यवस्था के औद्योगिक क्षेत्रक में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। भारतीय उद्योग ने अधिक प्रतिस्पर्धात्मक एवं आज के खुले माहौल का सामना करने के लिए अपना स्वरूप बदल लिया है जहां उन्हें आयात तथा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से भी प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। कुछ क्षेत्रों में हमने उत्कृष्ठ निष्पादन देखा है, जैसे कि, साफ्टवेयर, आईटी, फार्मास्यूटिकल, ऑटोमोबाइल्स व ऑटोकंपोनेंट व बायो-टेक्नोलॉजी।

तथापि, विनिर्माण क्षेत्रक का निष्पादन समग्र रूप से दो अंको की विकास दर से काफी नीचे है जो मैं समझता हूँ संभव और वास्तव में आवश्यक दोनों है, यदि हमें विकास और रोजगार सृजन के लक्ष्यों को प्राप्त करना है। मध्यावधि मूल्यांकन से जो

संदेश प्रकट होता है वह यह है कि हमारे औद्यागिक निष्पादन में तेजी आ सकती है यदि हम भारतीय उद्योग को बेहतर गुणवत्ता वाले अवसंरचना उपलब्ध करा सके। वैश्वीकरण की इस दुनिया में हमारी उत्पादन इकाइयों को अन्य देशों की उत्पादन इकाइयों से मुकाबला करना होगा तथा इसे प्रभावी ढंग से करने के लिए, उन्हें बेहतर गुणवत्ता वाली अवसंरचना की आवश्यकता होगी।

केन्द्र सरकार अवसंरचना विकास के महत्त्व को समझती है तथा इस क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता दी गई है। व्यापक अर्थों में, हमें विद्युत, सड़क, रेल, पत्तनों तथा हवाई अड्डों व दूरसंचार जुड़ाव में प्रमुख विस्तार एवं उन्नयन प्राप्त करने की आवश्यकता है। इसके लिए इन क्षेत्रों में दसवीं योजना के शेष वर्षों तथा ग्यारहवीं योजना में भी व्यापक निवेश की आवश्यकता है। इस पैमाने पर क्षमता विस्तार के लिए आवश्यक संसाधन सार्वजनिक क्षेत्रक में बिलकुल उपलब्ध नहीं हैं। अतः सार्वजनिक निजी भागीदारी जरूरी है। हमें अधिकतम सीमा तक निजी निवेश और सार्वजनिक निजी भागीदारी का सहारा लेकर सीमित सार्वजनिक क्षेत्रक संसाधनों की शक्ति बढ़ानी चाहिए। यह दृष्टिकोण केन्द्र और राज्यों दोनों के लिए प्रासंगिक है। उपाध्यक्ष अपने प्रस्तुतीकरण में इस पर कुछ और कहना चाहेंगे ।

तथापि, दो विशिष्ट क्षेत्र ऐसे हैं जिन्हें मैं आपके ध्यान में

लाना चाहूँगा । सर्वप्रथम, विद्युत की कमी पर काबू पाने के लिए, जिससे हमारे अधिकांश राज्य परेशान हैं और अर्थव्यवस्था के तीव्र विकास हेतु पर्याप्त विद्युत सुनिश्चित करने के लिए, हमें ऐसे पर्यावरण का सृजन करने की आवश्यकता है जो सार्वजनिक और निजी क्षेत्रकों द्वारा विद्युत क्षेत्रक में निवेशों को आकर्षित करे । इसके लिए, राज्यों में विद्युत एजेंसियों की वित्तीय स्थिति का पुनरुद्धार किया जाना है, जो कि एटी एवं सी नुकसान को कम किए बिना पूरा नहीं किया जा सकता । हमारा लक्ष्य आपके समर्थन और प्रतिबद्धता से दो वर्षों में एटी एवं सी नुकसान को 10 प्रतिशत प्वाइंट तक कम करने का होना चाहिए । हमें उपभोक्तओं और विद्युत एजेंसियों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए उचित कीमतों पर गुणवता युक्त विद्युत व्यवस्था पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए ।

दूसरा, जैसा कि आप जानते हैं, राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास को योजना प्रक्रिया में उच्च प्राथमिकता दी गयी है और एक महत्वाकांक्षी सड़क निर्माण कार्यक्रम तैयार किया गया है । यह कार्यक्रम भविष्य में विकास हेतु पर्याप्त रूप से सार्वजनिक और निजी भागीदारी पर निर्भर करता है । सड़क परियोजनाओं के तीव्र कार्यान्वयन हेतु हमें भूमि अधिग्रहण के संबंध में राज्यों से सक्रिय सहयोग मिलता रहा है । परन्तु हमें अनियोजित

सड़क-किनारों के विकास को रोकने में भी आपकी सहायता की आवश्यकता है, जिससे सृजित की जा रही सड़क परिसंपत्तियों के गंभीर अवमूल्यन और क्षति की आशंका है । मैं आपसे इस पर विशेष ध्यान देने का अनुरोध करुंगा ।

भारत निर्माण

ग्रामीण क्षेत्रों में महत्वपूर्ण अवसंरचना के सृजन पर विशेष बल दिए जाने की आवश्यकता है। अतः हमने ग्रामीण भारत में अवसंरचना निर्माण के लिए अति महत्वपूर्ण कार्यक्रम के रूप में भारत निर्माण कार्यक्रम शुरु किया है । चार वर्षों में कार्यान्वित किए जाने के लिए कारोवार मॉडल के रूप में कल्पित भारत निर्माण के छः घटक हैं नामतः सिंचाई, ग्रामीण सड़क, पेयजल आपूर्ति, आवास, ग्रामीण विद्युतीकरण और ग्रमीण दूरसंचार जुड़ाव। हमने इस कार्यक्रम के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए हैं, और उनको साकार करने के लिए संबंधित केन्द्रीय और राज्य एजेंसियों के बीच घनिष्ठ सहयोग की आवश्यकता है ।

शहरी नवीकरण

हालांकि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों का विकास महत्वपूर्ण है फिर भी हमें अपने शहरी क्षेत्रों की अनदेखी नही करनी चाहिए । इसके लिए हम राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन शुरु करने जा

रहे हैं । शहरों को अपनी पूर्ण क्षमता को साकार करने और विकास के वास्तविक साधन बनने के लिए, यह आवश्यक है कि शहरी अवसंरचना के सुधार पर और अधिक महत्वपूर्ण रूप से, शहरी स्तर पर संस्थागत डिलीवरी प्रणाली में सुधार पर ध्यान केन्द्रित किया जाए । इस प्रकार का ध्यान केन्द्रित करने में आपकी सहायता के लिए हम मिशन में केन्द्रीय सहायता के स्तर में प्रर्याप्त वृद्धि की परिकल्पना करते हैं । तथापि, हम यह सुनिश्चित करना चाहेंगे कि मिशन दीर्घावधि के आधार पर मूल्यों का सृजन करे और इसके लिए, गहन शहरी सुधार अनिवार्य है । शहरी विकास मंत्रालय और योजना आयोग जल्दी ही सुधार के उन महत्वपूर्ण तत्वों के संबध में आपसे संपर्क करेंगे, जिनको मिशन के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता तक पहुंच के लिए आरंभ किए जाने की आवश्यकता होगी ।

वित्त

अंत में, योजना के वित्तपोषण के कठिन मुद्दे पर मैं कुछ शब्द कहना चाहता हूँ । मध्यावधि मूल्यांकन इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाता है कि दसवीं योजना के पहले चार वर्षों में केन्द्र और राज्यों का कुल योजना व्यय, पूर्ण रूप से लक्ष्यों के प्राप्त होने पर जो होना चाहिए था उससे कम है। केन्द्र और राज्य दोनों ही पर राजकोषीय बाध्यताएं हैं जिससे बहुत से उपयोगी

विकासात्मक कार्यक्रमों, जो कि अति आवश्यक हैं, के वित्तपोषण संबंधी उनकी सामर्थ्य सीमित हो जाती है । राज्यों के मामले में, अंतरण, अनुदान ओर ऋण पुनर्संरचना में महत्वपूर्ण वृद्धि होने से वे इस वर्ष से और आगे लाभ प्राप्त करते रहेंगे । बारहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट में भी एक प्रमुख परिवर्त्तन किया गया है कि राज्यों को, विशेष रूप से उनके उधार लेने के कार्यक्रमों सहित अपने मामले निपटाने होंगे । मुझे मालूम है कि आपमें से कुछ लोगों को अपने राज्य के वित्त संबंधी इन परिवर्तनों के प्रभाव के संबंध में आशंकाएं हैं । तथापि, मुझे विश्वास है कि इससे आने वाले समय में राज्य सरकारों के लचीलेपन में वृद्धि होगी जिससे केन्द्र और राज्य सरकारों के संबंध और अच्छे होंगे । तथापि, निकट भविष्य में, यह सुनिश्चित करने के लिए हमें विशेष प्रयास करने होंगे कि योजना का वित्त पोषण उचित स्तरों पर आवश्स्त किया जा सके । इस मामले पर मैं उत्सुकता से आपके विचार जानना चाहूँगा ।

मैंने मध्यावधि मूल्यांकन दस्तावेज में कवर किए गए कुछ ही महत्वपूर्ण मुद्दों का उल्लेख किया है । हमारी अर्थव्यवस्था जितनी विस्तृत और जटिल अर्थव्यवस्था में जिन व्यापक मुद्दों का हमें समेकित रूप में समाधान करना है वे बहुत अधिक हैं। अपनी बुद्धिमता से, हमारे संविधान निर्माताओं ने इस बात को माना था

कि ऐसी जटिलताओं का केवल एक ऊर्जापूर्ण संघीय व्यवस्था द्वारा ही समाधान किया जा सकता है जिसमें सरकार के विभिन्न अंगों की विशिष्ट भूमिकाएं और उत्तरदायित्व होते हैं जिनके परिणाम मधुर होते हैं। इस संघीय विज़न को मूर्तरूप देने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद एक शीर्ष संस्था है । मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि आप इस दृष्टि से मध्यावधि मूल्यांकन की सिफारिशों पर विचार करें और इसके सुझावों को सामूहिक भावना से कार्यान्वित करने का संकल्प करें ।